

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2010/ 1531

दिनांक 4.11.10

1. समस्त प्रधानाचार्य, आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक सम्बद्ध चिकित्सालय।
2. निदेशक, ई.एस.आई./भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई।
3. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
7. अधीक्षक, कमला नेहरू क्षेत्रीय क्षय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, अजमेर।

विषय :- सेवारत चिकित्सको के लिये 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन कोर्स के सम्बन्ध मे।

सेवारत चिकित्सको के लिये 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन कोर्स 1 नवम्बर 2010 से प्रारम्भ किया जा चुका है, इस कोर्स मे रिक्त रही सीटो हेतु पुनः आयोजित काउन्सलिंग मे निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर काउन्सलिंग हेतु गठित समिति द्वारा चयनित चिकित्सको की सूची संलग्न है। चयनित चिकित्सको को दिनांक 10 नवम्बर 2010 को अपनी उपस्थिति संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य हो देनी है। उक्त कोर्स हेतु चयनित आपके अधीन कार्यरत चिकित्सको को निर्धारित संलग्न प्रपत्र मे 5 लाख रूपये का बाण्ड भरवाकर ही कोर्स हेतु कार्यमुक्त करे।

संलग्न : सूची व बाण्ड का प्रपत्र।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2010/ 1531

दिनांक 4.11.10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. परिधोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.।
6. उप कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर डाउनलोड किये जाने हेतु।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

6 माह के स्कील अप ग्रेडेशन प्रशिक्षण (द्वितीय बैच) हेतु पात्र चिकित्सको की सूची

| S.No | DOCTOR NAME          | RANK | SUBJECT          | MEDICAL COLLEGE |
|------|----------------------|------|------------------|-----------------|
| 1.   | RAJEEV KUMAR GAUTAM  | 1    | RADIODIAGNOSIS   | UDAIPUR         |
| 2.   | SHIVRAJ SINGH        | 2    | PAEDIATRICES     | JAIPUR          |
| 3.   | SATYA NARAIN AGARWAL | 4    | RADIODIAGNOSIS   | KOTA            |
| 4.   | UMA BHAGWATI GAUTAM  | 5    | OBST. & GYN      | UDAIPUR         |
| 5.   | GIRRAJ PRASAD MEENA  | 7    | PAEDIATRICES     | JAIPUR          |
| 6.   | RAJESH CHAVADA       | 9    | PATHO. & MICRO.  | JAIPUR          |
| 7.   | SHYAM SUNDAR NAGAL   | 10   | PAEDIATRICES     | BIKANER         |
| 8.   | VINITA GURAVA        | 11   | RADIODIAGNOSIS   | UDAIPUR         |
| 9.   | ANJANA               | 12   | OBST. & GYN      | JODHPUR         |
| 10.  | RAM PRASAD MEENA     | 13   | PATHO. & MICRO.  | JAIPUR          |
| 11.  | MAINPAL SINGH        | 14   | RADIODIAGNOSIS   | BIKANER         |
| 12.  | KAMLESH BOHRA        | 16   | PAEDIATRICES     | JAIPUR          |
| 13.  | BHANWAR KHALDANIA    | 17   | ASTHMA & ALLERGY | JAIPUR          |
| 14.  | ABHISHEK DUBE        | 18   | PAEDIATRICES     | JAIPUR          |
| 15.  | ZAKIR HUSAIN         | 19   | RADIODIAGNOSIS   | JAIPUR          |
| 16.  | RAM KISHORE SAINI    | 20   | RADIODIAGNOSIS   | JAIPUR          |
| 17.  | BHARAT KATI WAL      | 21   | RADIODIAGNOSIS   | UDAIPUR         |
| 18.  | SHANKAR LAL GUPTA    | 22   | RADIODIAGNOSIS   | UDAIPUR         |
| 19.  | RAJESH SINGH         | 23   | OBST. & GYN      | JAIPUR          |
| 20.  | PRAVEEN KUMAR SHARMA | 24   | PAEDIATRICES     | JAIPUR          |
| 21.  | RAMJEET TAK          | 25   | RADIODIAGNOSIS   | JODHPUR         |
| 22.  | HEMANT KUMAR BINDAL  | 26   | ANAESTHESIA      | UDAIPUR         |
| 23.  | ANJU GUPTA           | 27   | RADIODIAGNOSIS   | JAIPUR          |
| 24.  | SUNIL SHARMA         | 28   | RADIODIAGNOSIS   | JAIPUR          |
| 25.  | PAWAN AVASTHI        | 30   | PATHO. & MICRO.  | UDAIPUR         |
| 26.  | KAMAL KISHORE DOHAR  | 33   | RADIODIAGNOSIS   | UDAIPUR         |
| 27.  | APRAJITA             | 34   | OBST. & GYN      | UDAIPUR         |
| 28.  | KIRODI MAL           | 35   | RADIODIAGNOSIS   | AJMER           |
| 29.  | AJAY KUMAR MEHALWAL  | 36   | PATHO. & MICRO.  | JAIPUR          |
| 30.  | NARENDRA MISHRA      | 37   | RADIODIAGNOSIS   | JODHPUR         |

|     |                           |    |                  |         |
|-----|---------------------------|----|------------------|---------|
| 31. | CHANDRA SHEKHAR PAREEK    | 39 | RADIODIAGNOSIS   | AJMER   |
| 32. | PRABHAT KUMAR             | 40 | PATHO. & MICRO.  | UDAIPUR |
| 33. | BHUPENDRA SINGH CHAUDHARY | 41 | ASTHMA & ALLERGY | JAIPUR  |
| 34. | OM PRAKASH AGARWAL        | 42 | OBST. & GYN      | UDAIPUR |
| 35. | SHAFIQ MOHD.              | 43 | PAEDIATRICES     | UDAIPUR |
| 36. | ASHOK KUMAR               | 44 | PATHO. & MICRO.  | JAIPUR  |
| 37. | ARVIND AGARWAL            | 45 | PAEDIATRICES     | AJMER   |
| 38. | ANURAG SHARMA             | 46 | PATHO. & MICRO.  | AJMER   |
| 39. | NARENDRA KUMAR SHARMA     | 47 | OBST. & GYN      | UDAIPUR |
| 40. | KIRTI BHATI               | 52 | RADIODIAGNOSIS   | JODHPUR |
| 41. | SURENDRA KUMAR            | 53 | PATHO. & MICRO.  | KOTA    |
| 42. | KAPUR THALOR              | 54 | PATHO. & MICRO.  | JAIPUR  |
| 43. | HEMANT KUMAR SHARMA       | 55 | ASTHMA & ALLERGY | JAIPUR  |
| 44. | DEVENDRA KUMAR GUPTA      | 56 | OBST. & GYN      | JAIPUR  |
| 45. | SATYAVEER SINGH           | 57 | RADIODIAGNOSIS   | AJMER   |
| 46. | G. P. GOYAL               |    | RADIODIAGNOSIS   | JAIPUR  |
| 47. | BHAWANA BANSAL            |    | OBST. & GYN      | JAIPUR  |
| 48. | OM PRAKASH SWAMI          |    | PAEDIATRICES     | BIKANER |
| 49. | SURENDRA SINGH            |    | PAEDIATRICES     | JODHPUR |
| 50. | SHESHA RAM PATEL          |    | PAEDIATRICES     | JODHPUR |
| 51. | ASHOK KHANDELWAL          |    | OBST. & GYN      | JAIPUR  |

## परिशिष्ट - 18-बी

राज्य कर्मचारी जिसे प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और जिसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत (ड्यूटी) पर माना जाता है, द्वारा निष्पादित करने का बॉण्ड (बंध-पत्र)

यह बंध-पत्र आज दिनांक \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ को एक पक्ष के \_\_\_\_\_ पद पर नियुक्ति डॉ. \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ (जो एतदपश्चात् "प्रशिक्षणार्थी" कहलायेगे) और दूसरे पक्ष के श्री \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_ (प्रथम जामिन) और श्री \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_ (द्वितीय जामिन) (जो एतदपश्चात् सामूहिक रूप से जामिन कहलायेगे, की ओर से राजस्थान के राज्यपाल (जो एतदपश्चात् सरकार कहलायेगे) के पक्ष में लिखा गया।

चूकिं नियमानुसार प्रशिक्षणार्थी के लिये यह आवश्यक है, कि वह अवधि दिनांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक प्रशिक्षण प्राप्त करे।

और चूकिं सरकार उक्त प्रशिक्षणार्थी को एतदपश्चात् लिखी शर्तों पर इस शर्त पर कि जामिन यह जमानत (security) देगे कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा कथित शर्तों के अनुसार उचित निष्पादन किया जावेगा, उसे प्रशिक्षण पर रखेगे (place) को (सरकार) सहमत हो गई है।

और चूकिं, जामिन प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसको कथित शर्तों की पूर्णतः अनुपालन निम्न दर्शायी गयी पद्धति के अनुसार करने हेतु जमानत देने को सहमत हो गये है :

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्ष्य है :-

(1) कि सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थी को नियमानुसार कर और कथित इकरारनामों के अनुसरण में उसे प्रशिक्षण हेतु चयन के प्रतिफल (consideration) में प्रशिक्षणार्थी एतद्वारा सरकार से संविदा (इकरार) करता है, कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के 5 वर्ष के अन्दर वह राज्य सेवा में न तो त्यागपत्र देगा और न सेवानिवृत्ति लेगा।

(2) उपर लिखित प्रतिफल (consideration) और उक्त कथित इकरारनामों के अनुसरण में, प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद्वारा सहमत हैं, कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूर्ण होने के 5 वर्ष की अवधि के अन्दर, यदि प्रशिक्षणार्थी त्यागपत्र देता है या उक्त अनुच्छेद (clause) 1 का उल्लंघन कर कोई अन्य नियोजन (employment) स्वीकार करता है, तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन संयुक्त रूप और अलग (severally) रूप से राज्य सरकार को वह समस्त राशि अदा करेगे जो सरकार ने प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी को दी है एवं इसके साथ वे सब अन्य व्यय भी लौटावेगा जो इसमें सरकार को व्यय करना पड़े किन्तु इसमें प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दिये गये यात्रा भत्ते की राशि सम्मिलित नहीं होगी,

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनो को, प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण के दौरान दी हुई यह राशि तब तक नहीं लौटानी पड़ेगी जब तक कि सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध जान पड़े।

इसके साक्ष्य स्वरूप यह बंध-पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनो द्वारा उपर्युक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षर किया गया है।

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

साक्ष्य

साक्ष्य

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्ष्य

साक्ष्य

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्ष्य

साक्ष्य

यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर लिखित जामिनो के स्वामित्व (possess) में स्थाई संपत्ति (immovable property) है, जिसका मूल्यांकन (valuation) रुपये \_\_\_\_\_ से कम नहीं है।

विशेष ध्यान हेतु इस प्रमाण-पत्र में जो राशि भरी जावे वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिये जो राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।